IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

निर्माण खण्ड मेरठ–03

ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक 01 दिनांकः 02/01/23

सेवा में

The National Green Tribunal
Principal Bench. New Delhi

विषय– मि0 अपील न0–55/2022 मूल प्रार्थना पत्र सं0–342/2022 संजय सिहं बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से प्रतिउत्तर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, जनपद मेरठ के पत्रांक 2981/ओ0एस0डी0–कैम्प/2022 दिनांक 12.12.2022 द्वारा मि0 अपील न0–55/2022 मूल प्रार्थना पत्र सं0–342/2022 संजय सिहं बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 की प्रति प्रेषित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में विपक्षी सं0–5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ से सम्बन्धित बिन्दु सं0–9 पर अनुपालन/प्रतिउत्तर निम्न प्रकार हैः–

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ द्वारा योजना सं0–3, शास्त्रीनगर मेरठ विकसित की गयी है। हापुड रोड़ से लगा हुआ एल–ब्लॉक सेक्टर विकसित है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार एल–ब्लॉक के दक्षिण में राष्ट्रीय राज मार्ग, मेरठ–बुलन्दशहर स्थित है। जिसकी ले–आउट के अनुसार चौडाई 76.00 मी0 है। जिसके अन्तर्गत योजना के दक्षिण में परिषद द्वारा निर्मित 12.00 मी0 चौड़ी सर्विस रोड़ है जिसके पश्चात 20.00 मी0 चौड़ी राष्ट्रीय राज मार्ग रोड साईड लैण्ड भूमि है। जिसमें नगर निगम मेरठ द्वारा नगर के सौन्द्रीयकरण हेतु 11.00 मी0 चौडाई में पौधारोपण किया गया है तथा निगम, मेरठ द्वारा लगभग 150 वर्ग मी0 डलाव घर का निर्माण किया गया है। रोड़ साईड लैण्ड के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग की बिटुमिन रोड़ 6.00 मी0 चौडी डिवाईडर तक है।

वर्तमान में परिषद योजना की समस्त बाह्य सेवाये यथाः–सड़के, सीवर, पार्क, नालियॉ, खुले स्थान आदि नगर निगम, मेरठ को रख–रखाव हेतु वर्ष 1983 से हस्तान्तरित है। सेवाओं के हस्तान्तरण उपरान्त उक्त का स्वामित्व नगर निगम, मेरठ में निहित हो जाता है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः–ले–आउट प्लान की प्रति।

NATIONAL GREEN TRIBUNAL Principal Bench, Receipt & Issue Branch Received 06 JAN 2023 Dairy No. 95 Signature

भवदीय

(राज कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

Ld. R.Ga 06-01-2023

Com. (J)

पृ0सं0: /उपरोक्तानुसार/ तद्–दिनांक.............

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी जनपद मेरठ को आपके कार्यालय के पत्र सं0–2981/दिनांक 12.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

3– अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को वृत्त कार्यालय के पत्र सं0–3627/दिनांक 14.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

09/23 Judl. 09/01/23

MA 55/2022 in OA 342/2022 Pl. put up 9/1/2023

अधिशासी अभियन्ता

D:\C.D Meerut-03\2022\Office Letter1.doc

1535

127

परि०-1

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद,
(नगर नियोजन एवं वा०अनु०)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 191/नि०प्रा०-1/84 दिनांक: फरवरी- 2, 1984

कार्यालय ज्ञाप

पिछले कुछ समय में परिषद के कतिपय अधिकारियों द्वारा परिषद की विभिन्न योजनाओं में सड़कों, पार्कों आदि के हस्तान्तरण के उपरान्त परिषद योजनाओं पर परिषद के अधिकारियों के बारे में कुछ संशय व्यक्त किये गये हैं। इस स्थिति का विस्तृत विधिक परीक्षण कराया गया है जिसके उपरान्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

(1) परिषद अधिनियम की धारा- 41 के अन्तर्गत परिषद योजनाओं की केवल सड़कें (जिसमें जल सम्पूर्ति नाली, सीवरेज आदि शामिल है) तथा वेन्टीलेशन और मनोरंजन हेतु छोड़ी गयी खुली भूमि ही स्थानिय निकायों को हस्तान्तरित की जाती है।

(2) हस्तान्तरण के उपरांत उक्त सड़के तथा खुली भूमि सम्बन्धित स्थानीय निकाय में निहित हो जायेगी अर्थात इन पर से परिषद का स्वामित्व समाप्त हो जायेगा।

(3) उपरोक्त के फलस्वरूप योजना की शेष भूमि सम्पत्ति पर परिषद का स्वामित्व अक्षुण रह जाता है। ऐसी दशा में नगर महापालिका/नगर पालिका में निहित भूमि को छोड़कर शेष पर निर्माण करने का अधिकार परिषद को प्राप्त है।

(4) परिषद के अधिनियम की धारा - 41 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में निहित हो चुकी सड़कों व पार्कों को छोड़कर शेष भूखण्डों पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार परिषद को उस समय तक प्राप्त रहता है जब तक कि योजना पूरी तरह निष्पादित नहीं हो जाए। हस्तान्तरित सड़कों व पार्कों आदि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु परिषद स्थानीय निकाय से अनुरोध कर सकती है और उसका अनुपालन न करने पर धारा 41(5) के अन्तर्गत शासन को रिफरेन्स कर सकती है।

(5) योजना की उस भूमि को छोड़कर जिनका स्वामित्व स्थानीय निकायों में परिषद अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत निहित हो चुका है शेष भूमि पर भवनों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण सम्बन्धी मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार परिषद को प्राप्त है।

(6) हस्तान्तरण के पूर्व परिषद द्वारा पारित मानचित्र व किये गये कार्य हस्तान्तरण के उपरान्त भी प्रभावी माने जायेंगे क्योंकि विधायिका द्वारा निर्मित अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत किये गये कार्य केवल स्वामित्व अथवा मैनेजमेन्ट के परिवर्तन से अवैध व निष्प्रभावी नहीं हो जाते हैं।

ह०/-
(श्याम पुरी)
आवास आयुक्त

..2/-

(2)

संख्या 191/ दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1: मुख्य अभियन्ता/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक, वि०नि०ख०- 10, मेरठ।
2: उप आवास आयुक्त/समस्त सहायक आवास आयुक्त।
3: मुख्य वास्तुविद नियोजक/समस्त वास्तुविद नियोजक/समस्त विशेष कार्याधिकारी।
4: परिषद मुख्यालय के अन्य सभी अधिकारीगण।

ह०/-

(श्याम पुरी)
आवास आयुक्त

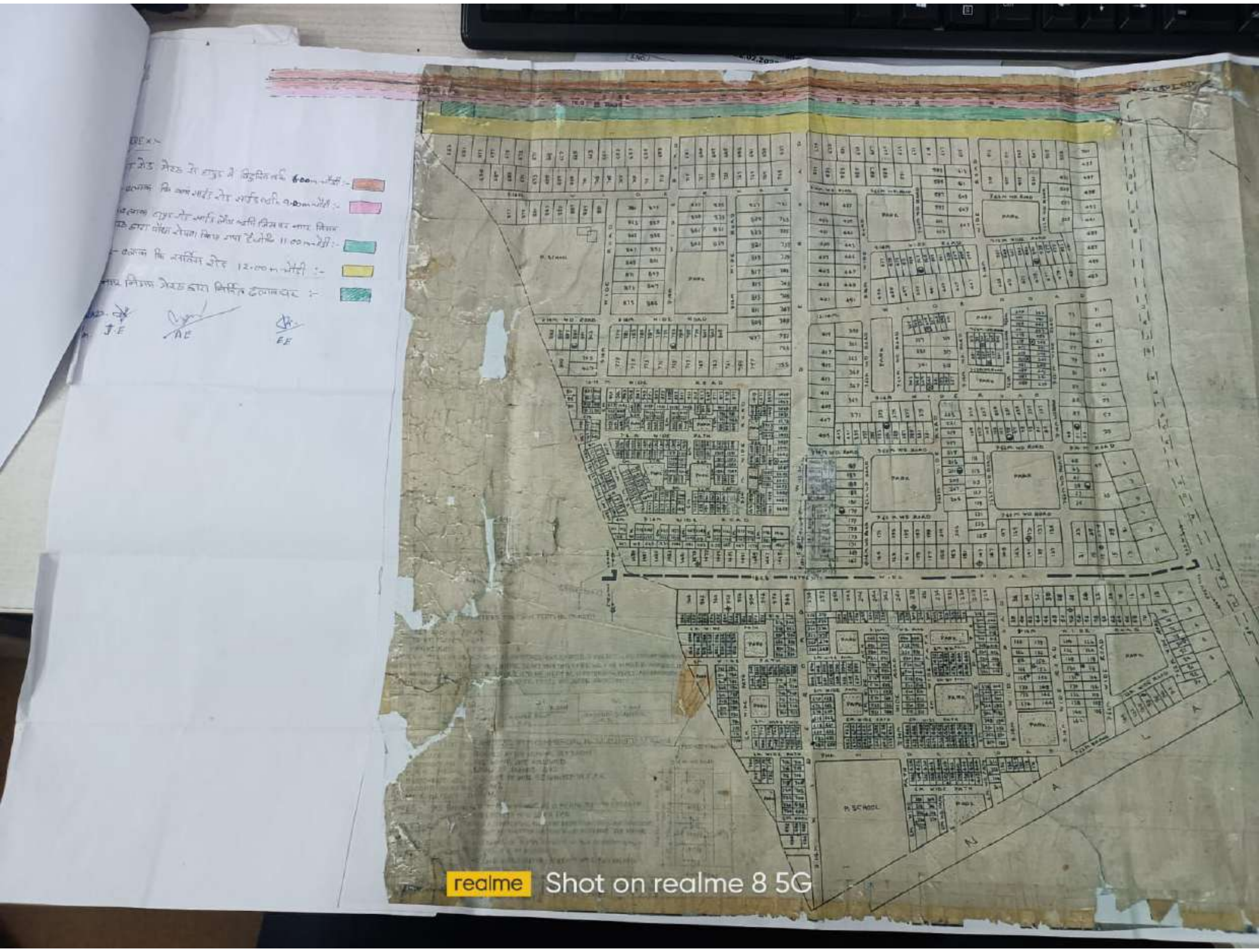

J.E
AE
EE
P. SCHOOL
PARK
realme Shot on realme 8 5G